ORIGINAL RESEARCH PAPER

Political Science

KEY WORDS: सशक्तिकरण, संवैधानिक प्रावधान, कानून, अधिकार

महिला सशक्तिकरण और कानूनी प्रावधान

Dr. Manita Kaur Virdi*

Political Science, Chhindwara (M.P) India.*Corresponding Author

ABSTRACT

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा ही नहीं अपितु एक बहुआयामी चुनौति भी है। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का बेहद जरूरी विमर्श है। चूंकि यह स्त्री की स्वतंत्रता, समानता, मजबूती व महत्ता का हिमायती है, इसलिए इसे सम्पूर्ण मानव समुदाय, के आधे हिस्से कि बेहतरी से जुड़ा विमर्श कहा जा सकता है। स्त्री के लिये मुक्ति और समानता का अर्थ उसके साथ किया जाने वाला मानवीय व्यवहार है। जिसके अंतर्गत उसके लिये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा निर्णय के समान अवसर उपलब्ध हो। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु क्रियान्वित किये गये कानूनी प्रावधानों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत शोध–पत्र की मुख्य विषय वस्तु है।

प्रस्तावना:–

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा। जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये। उनके कौशल को उनकी जीवन रेखा बनाये। ताकि समय आने पर वे व्यवस्था कर सके। अपना परिवार, समुदाय और देश के हित के लिए आर्थिक सहयोग दे सकें। इन सब के लिए यह भी जरूरी है कि उनके आत्मविश्वास को जीता जाए। ताकि वह अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें, और एक सुनियोजित भविष्य बना सकें।

'समय है सोच में' परिवर्तन लाने का महिला सशक्तिकरण की और कदम बढ़ाने का –

ज्यादातर महिलाएँ इन यातनाओं और ज्यादातियों को चुपचाप सह लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाएँ इसका सामना करती हैं। इसके विरूद्ध आवाज उठाती हैं। हर समाज में लोगों की हिफाजत के लिए कानून बने हुए हैं। ये कानून हमारे अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। महिलाओं को भी ये अधिकार हासिल हैं, इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कानून भी बने हैं।

*अध्ययन क्षेत्र:–*प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदत्त कानूनों के विश्लेषण पर केन्द्रित है।

अध्ययन के उद्देश्य:–

- प्रस्तुत शोध–पत्र द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु एक नई दृष्टि प्राप्त हो सके।
- वास्तविक परिदृश्यों को समझना जिससें महिलाओं के ऊपर होने वाले उत्पीड़न से उन्हें मुक्ति मिल सकें।
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- उन माध्यमो का पता लगाना जिससे समाज की सम्पूर्ण महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके।

आंकड़ो का संकलन: – द्वितीयक संमकों का संकलन, विषय से संबंधित पूर्व में किये गये प्रकाशित शोध ग्रंथों, पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों आदि के माध्यम से किया गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट के माध्यम से भी तथ्य संकलित किये गए।

प्रविधि: प्रस्तुत शोध पत्र में ग्रंथालय अध्ययन पद्धति के साथ द्वंदात्मक, विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण:–

कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये संसद द्वारा पास किये गये कुछ अधिनियम है। महिलाओं की समस्यायें केवल आधुनिक समाज में ही नहीं वरन् ये बहुत ही पुरानी हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को यदि देखें तो वैदिक काल से आधुनिक काल तक महिलायें किसी न किसी रूप में चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या समाज के रीति–रिवाजों के नाम पर अत्याचार तथा शोषण का शिकार होती रही हैं।

वर्तमान में महिला उत्पीड़न अपनी चरम सीमा में है। बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज प्रताड़ना, अपहरण आदि घटनायें आज लगातार घटित हो रही हैं। प्राचीन युग से वर्तमान में उत्पीड़न की मात्रा में कमी या बढ़ोत्तरी अवश्य हुई है लेकिन यह उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ। समाज में महिलाओं को दहेज के लिये जलाया जाता है, पीटा जाता है, बलात्कार किया जाता है और कई तरहों से शोषण किया जाता है।

महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उपलब्ध, विधिक प्रावधान जो उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्तता प्रदान करते हैं, को विश्लेषित करने पर ज्ञात होता है कि उन्हें प्रभावी बनाये जाने के लिए उन्हें संशोधित/परिवर्तित/अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार मिले हैं। उनके लिये शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, आदि सभी क्षेत्र खुले हुए हैं। स्वतंत्रता से अब तक महिलाओं की उन्नति के लिये और समुचित न्याय दिलाने के लिये तरह–तरह के कानून सरकार ने बनाये हैं। महिलाओं के प्रमुख कानूनी अधिकार में विधि के समक्ष–समानता का अधिकार–अनुच्छेद(14), जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के अनुसार समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 (1),महिलाओं और बच्चों के हित में कुछ विशेष उपबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 15 (3), नौकरी या उसके अवसरों के लिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 16, महिला पुरूष को समान जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 39 (ए), महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 (डी), महिलाओं को दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिये सन् 1983 में भारतीय दण्ड संहिता (प्च्) में एक नई धारा–498ए जोड़ी गयी थी। इस धारा के मुताबिक पति या उसके संबंधियों द्वारा दहेज के लिये महिला को प्रताड़ित करने की स्थिति में पुलिस को यह अधिकार होगा कि वह पत्नी की मात्र शिकायत पर ही बिना जाँच–पड़ताल के ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सकेगी। दहेज एक कुरीति है और इसे प्रभावी ढंग से रोकना वक्त की जरूरत है।

भारत सरकार ने कामकाजी नारियों की सहायता हेतु समय–सयम पर नियम एवं कानून बनाये हैं। जिसके तहत् समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 बनाया गया। महिलाओं को गर्भावस्था व प्रसूति से संबंधित कुछ खास अधिकार दिये गये हैं। यह प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 कहलाता है।

विशाखा दिशा निर्देशों के आने से पूर्व आये दिन कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव सुनने और देखने को मिलते थे। लेकिन वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "विशाखा बनाम राजस्थान राज्य" मामले में जारी किए दिशा–निर्देशों ने कार्य स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई। कार्यस्थल पर होने वाले यौन–उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही 'विशाखा गाइड लाइन ' के रूप में जाना जाता हैं। इसे विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार मामलें के तौर पर भी जाना जाता है।

इस प्रकार हमारे संविधान के अन्तर्गत सभी स्त्री–पुरूष को बराबरी का, स्वतंत्रता का, शोषण से बचाव, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा व संस्कृति आदि सभी अधिकार समान रूप से प्रदान किये गये हैं ताकि उन्हें समानता के अधिकार से कोई भी वंचित न कर सके। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के सभी स्तरों पर उन्हें एक–तिहाई पद आरक्षित करने के लिये संविधान के अन्तर्गत 73वें 74वें संशोधन किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप देश की त्रिस्तरीय पंचायतों में 80 लाख महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में राजनीति और विकास में भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त राजनीति के उच्च स्तरों पर अर्थात् संसद और विधानमण्डलों में उन्हें एक तिहाई आरक्षण उपलब्ध कराने के लिये प्रयास भी किए जा रहे हैं।

निष्कर्ष:–

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि महिलाओं के कारगर सशक्तिकरण के लिए कानून और न्याय को एक–दूसरे का पूरक और सहायक बनाना होगा। इसके लिए अभी लंबा सफर तय करना होगा। प्रस्तुत शोध–पत्र में प्रमुखतः उन कानूनी प्रावधानों, संहिताओं पर प्रकाश डाला गया है जो मूलतः महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण व संरक्षण के संबंध में नित नये कानून तो बन रहे है लेकिन उनकी कियान्विति बहुत कम है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जरूरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक, सजग एवं सशक्त बनाना आज सब से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे कारगर तरीका उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना है। ताकि वह जान सके कि कानून के द्वारा वे कौन–कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। अत्याचार, अन्याय एवं शोषण का मुकाबला कैसे कर सकती हैं। महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाये कि वे अपने अधिकारों और उन्मुक्तियों का प्रयोग स्वयं कर सकें । निर्भीकता से अपना दावा पेश कर सकें क्योंकि कोई भी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज महिलाओं को सशक्त किए बिना, विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए भारतीय कानूनी और न्यायिक व्यवस्था को सशक्तिशाली बनाना बेहद जरूरी ही नहीं अपितु आवश्यक भी है।

सुझाव:–

1. कानून को किताबों के दायरे से बाहर निकालने और उसे समाज में संरक्षण हेतु लागू करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता है।
2. अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त, विधवा एवं एकाकी महिलाओं के लिए संपत्ति कानून एवं भूमि कानूनो में ऐसे कानूनी प्रावधान निहित किये जायें जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक स्थिति भी मजबूत हो सके।
3. सजगता, सचेतना, दृढता और उदारता हमारे संबल है। महिला उत्पीड़न के विरूद्ध जन संवेदीकरण इस दिशा में एक सशक्त सकारात्मक कदम होगा।
4. महिला सशक्तिकरण एक ऐसी सामाजिक विधि है, जो स्त्रियों पर किए जा रहे

अत्याचारों व दमन को निष्प्रभावी बनाती है। अगर स्त्रियाँ अपने स्तर में निर्णायक कार्यवाही नहीं करेंगी तो उनके परम्परागत उत्पीड़कों द्वारा इसी प्रकार उनका उत्पीड़न होता रहेगा।

5 *समुचित और त्वरित न्याय प्रबंध के द्वारा भी उत्पीड़न को रोकने में सहायता मिल सकती है।*

संदर्भ:

1 *महिलाओं के कानूनी अधिकार–मध्यप्रदेश मानवअधिकार आयोग ,पर्यावास भवन, भोपाल,*
2 *स्याल, शान्ति कुमार–महिलाओं के कानूनी धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार–आत्माराम एण्ड संस–दिल्ली, 2009*
3 *माटी, कान्ता'' महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना तथा दहेज हत्या'' पॉइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर (राजस्थान) 2007,*
4 *सक्सेना उपमा, महिला सशक्तिकरण सामाजिक एवं संवैधानिक परिदृश्य , अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2012*
5 *आर्य राकेश कुमार, महिला सशक्तिकरण और भारत डायमंड पॉकेट बुक्स प्रा.लि.नई दिल्ली 2020*
6 *गुर्जर डॉ.सीता 'महिला सशक्तिकरण (नीति,कानून एवं योजनाऐं)' हिमांशू पब्लिकेशन, उदयपुर राजस्थान,2015*
7 www.jagran.com
8 ww.bbc.com